09/11/2023

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने कथन किया कि भूमि ख0न0 872, 879, 880 किता 3 रकबा 0.36 हैक्ट. ग्राम गांवड़ी की खातेदारी हासिया पुत्र भूरा के नाम दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी व प्रार्थी के पिता का नाम हंसन खां पुत्र भूरे खां है। प्रार्थी के भी सभी दस्तावेजो में हंसन खां पुत्र भूरे खां दर्ज है दस्तावेज पेश किये है। गिरदावर व पटवारी हल्का ने भी प्रार्थी व पिता का सही नाम हंसन खां पुत्र भूरे खां होना अपनी जॉच रिपोर्ट में पाया है एवं दुरूस्त किये जाने उचित माना है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावें ।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड दस्तावेज का अवलोकन किया गया जिससे जाहिर है कि वादग्रस्त आराजी की खातेदारी वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वंत 2075—2078 ग्राम गांवड़ी खाता संख्या 6 किता 3 रकबा 0.36 है. के 1/6 हिस्से का खातेदार हासिया पुत्र भूरा शेष हिस्सा अन्य खातेदारान के नाम दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी का कथन कि प्रार्थी व प्रार्थी के पिता का सही नाम हंसन खां पुत्र भूरे खां है। प्रार्थी के कथन की पुष्टि प्रस्तुत रिकार्ड दस्तावेजात आधार कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र, ग्रा.प. का प्रमाण पत्र , सह खातेदार महताब पुत्र दीना एवं रिपोर्ट पटवारी हल्का व भू0अ0 निरीक्षक गांवड़ी से होती है। इस प्रकार प्रस्तुत रिकार्ड, दस्तावेजात, प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत, रिपोर्ट पटवारी हल्का एवं भू0अ0निरीक्षक गांवडी के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना उचित है।

राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है तथा निम्नानुसार दुरूस्ती के आदेश दिये जाते हैः—

राजस्व ग्राम	भूमि का विवरण	वर्तमान प्रविष्टि	अमल दरामद की जाने वाली प्रविष्टि
गांवड़ी	खाता संख्या 06	हासिया पुत्र भूरा	हंसन खां पुत्र भूरे खां

शेष इन्द्राज बदस्तुर रहे। पत्रावली बाद फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया।

राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)